श्री मनोज गर्ग, अधि०

न्यायालय अनुमंडल उपजिलाधिकारी, सिरसा

नार्दर्न फार्म्स नम्बर सं० ५६५।
[redacted] ५०८।

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

Notice upload
24-2-2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

(देखें नियम १२० अभिलेख हस्तक १९१९)

Vadai विभाग

SAR 40/14-15 रजिस्टर सं०

श्री जॉर्ज फरफेड़ा बी.पंजाब बनाम श्री रमेश प्रधान बी.पंजाब

SAR वर्ष के अधीन

अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्रम सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	लगान की श्रेणी	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
		24/1/2023		11.11.20 9.12.20 13/01/2021 31/03/2021 12/05/21 18/8/2021 20/10/2021 18/12/21 11.2.22 25/3/22 18/4/22 24/6/22 15/7/22 16/8/22 16/9/22 7.10.22 21/11/22 2/12/22 9/1/23	21.3.18 25.4.18 6.6.18 18.7.18 12.9.18 5.12 16.1.19 20.2.19 22.5.19 10.7.19 9.9.19 5.2.2 25.3.20	18.4.16 7.12.16 11.1.17 8.2.17 1.3.17 3.4.17 26.4.17 29.5.17 28.6.17 2.8.17 28.8.17 11.10.17 22.11.17 3.1.18 14.2.18 6.11.019

आदेश--पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक) आँर्जे केरकेट्टा

आदेश पत्रक–ता0........................से ....तक

जिला–सिमडेगा, संख्या. SAR 40 /2014-15

केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम

रमेश प्रधान

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
20-9-2014	श्री आँर्जे केरकेट्टा वो लाबिन करकेट्टा पिता स्व0 थोमस केरकेट्टा साकिन मेरोमडेगा कसबहार कुड़ुखटोली थाना ठे0 टांगर जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी रमेश प्रधान पिता स्व0 राजू प्रधान साकिन– कसबहार मेरोमडेगा थाना ठे0 टांगर जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	30-9-16 21.10.16 18-11-16

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मेरोमडेगा	200	5427	0.01
		5428	0.11
		2	0-12 डिसमिल

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 01-11-2014 को उपस्थापित करें।

20/9/14

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 40/2014–15
दिनांक...12.01.23...

जॉर्ज केरकेट्टा वगै0
बनाम
रमेश प्रधान

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक 1. जॉर्ज केरकेट्टा 2. लिबिन केरकेट्टा दोनों के पिता–स्व0 थोमस केरकेट्टा, साकिन–मेरोमडेगा कसबहार कहुटोली, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी रमेश प्रधान, पिता–स्व0 राजू प्रधान, साकिन–कसबहार मेरोमडेगा, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–40/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
मेरोमडेगा	200	5427	0.01 एकड़
		5428	0.11 एकड़
			कुल–0.12 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक–466/विधि, दिनांक 11.10.2014 एवं पत्रांक–1340/विधि, दिनांक 20.09.2022 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, टी0टांगर के पत्रांक–1734(ii)/रा0, दिनांक 07.12.2022 के द्वारा न्यायालय को प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि का सर्वे खतियान के मुताबिक बंधना खड़िया वल्द वीशु खड़िया कौम खड़िया प्रश्नगत् भूमि का अद्यतन जमाबंदी थोमस खड़िया वगै0, पिता–बंधना खड़िया है। उनके नाम से वर्ष–2022–23 तक लगान रसीद निर्गत है। अद्यतन जमाबंदी का अधिकार खतियानी उत्तराधिकारी की हैसियत से प्राप्त है। विपक्षी का प्रश्नगत् भू0खण्ड पर जोतकोड़ के द्वारा कब्जा है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर विगत् 60–65 वर्षो से दखल–कब्जा है। विवादित जमीन की चौहद्दी:–

प्लॉट नं0–5427 की चौहद्दी:–

उ0 खेसरा सं0–5430 का अंश
द0 खेसरा सं0–5421 का अंश
पू0 खेसरा सं0–5430 का अंश
प0 खेसरा सं0–5421 का अंश

प्लॉट नं0–5428 की चौहद्दी :–

उ0 खेसरा सं0–5430 का अंश
द0 खेसरा सं0–5416 का अंश
पू0 खेसरा सं0–5429 का अंश
प0 खेसरा सं0–5421, 5420 एवं 5418 का अंश

कृ0पृ0उ0

CamScanner

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। लेकिन उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–40/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 16:15:16 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner